निर्णय व इजलास श्री विश्वजीत सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 16/25
दायरा दिनांक :– 18.06.2025
निर्णय दिनांक :– 17/10/2025

उनवान

1. सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला आयु 48 वर्ष पुत्र श्री पन्ना पत्नि श्री भीमशंकर जाति मेहर निवासी फतेहपुर तहसील व जिला बारां हाल मुकाम आमापुरा बारां तहसील व जिला बारां

प्रार्थीया–

बनाम

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक :–

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एड0 – प्रार्थीया
2. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीयां की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तहसील जिला बांरा राज० मे आराजी खाता सं० नया 157 पुराना से खसरा नं0 1529 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 334 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नं0 335 रकबा 0.35 हैक्टर, कुल किता 3 कुल. रकबा 0.61 है0 इसी प्रकार खाता संख्या नया 156 पुराना 153 से खसरा नं0 324/2263 रकबा 0.09 हेक्टर स्थित है। उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयों का नाम आवेदन की विषयवस्तु है कि प्रार्थना पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयां का नाम सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला पुत्री पन्ना के स्थान पर सहवन से प्रार्थीया का नाम शिमला पुत्री श्री पन्ना गलत्त दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीयां का नाम सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला पुत्री धन्ना है, जो प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड एंव अन्य दस्तावेजो में अंकित है। मद नं० 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीयां अपने हक व हिस्से की उक्त आराजी पर के.सी.सी. बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने व किसान समान निधि प्राप्त करने से वंचित हो रही है। बैंक द्वारा प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड व राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज मे मिलान न होने से के.सी.सी. बनाने से साफ इन्कार कर दिया है। इस कारण प्रार्थीयां को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कम 1 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम शिमला पुत्री पन्ना के स्थान पर अपना नाम सीमा बाई मेहर तर्फ शिमला पुत्री पन्ना दर्ज करवा पाने की वैधानिक अधिकारी व नालिशी है। प्रार्थीया क्रम 1 का बोलता नाम शिमला भी है तथा सरकारी दस्तावेजात में वास्तविक नाम सीमा बाई

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

मेहर अकित हैं। इस कारण राजस्व रेकार्ड में उक्त नाम को दुरूस्त करवा कर बोलते नाम के साथ वास्तविक नाम को उर्फ लगाकर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अकित करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीयां द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियों से उसका नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। अंतिम बार दिनांक 25.05.2025 को प्रार्थीयां द्वारा राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो से निवेदन किया किन्तु उन्होने प्रार्थीया के नाम पत्ते राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिये आवेदन का कारण दिनांक 25.05. 2025 को बांरा तहसील क्षेत्र में पैदा हुआ। कि विवादित आराजीयात वाके की तहसील बांरा में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय मे अवधि मध्य पेश है। अत्तः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में अंकित आराजियात राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी मे प्रार्थीयां शिमला पुत्री पन्ना अंकित नाम के स्थान पर सही नाम प्रार्थीयां सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला पुत्री पन्ना साकिन फतेहपुर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 157, नकल जमाबन्दी ग्राम फतेहपुर सम्वत 2072–75, खाता संख्या नया 156, पुराना खाता संख्या 153, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशनकार्ड, पेन कार्ड, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीयां की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तहसील जिला बांरा राज० मे आराजी खाता सं० नया 157 पुराना से खसरा नं0 1529 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं0 334 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नं0 335 रकबा 0.35 हैक्टर, कुल किता 3 कुल. रकबा 0.61 है0 इसी प्रकार खाता संख्या नया 156 पुराना 153 से खसरा नं0 324/2263 रकबा 0.09 हेक्टर स्थित है। उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयों का नाम आवेदन की विषयवस्तु है कि प्रार्थना पत्र की मद नं.1 में वर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीयां का नाम सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला पुत्री पन्ना के स्थान पर सहवन से प्रार्थीया का नाम शिमला पुत्री श्री पन्ना गलत्त दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीयां का नाम सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला पुत्री धन्ना है, जो प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड एंव अन्य दस्तावेजो में अंकित है। मद नं० 1 में वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीयां अपने हक व हिस्से की उक्त आराजी पर के.सी.सी. बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने व किसान समान निधि प्राप्त करने से वंचित हो रही है। बैंक द्वारा प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड व राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज मे मिलान न होने से के.सी.सी. बनाने से सांफ इन्कार कर दिया है। इस कारण प्रार्थीयां को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी कम 1 राजस्व रेकार्ड में अकिंत नाम शिमला पुत्री पन्ना के स्थान पर अपना नाम सीमा बाई

उप खण्ड अधिकारी
बारां

मेहर तर्फ शिमला पुत्री पन्ना दर्ज करवा पाने की वैधानिक अधिकारी व नालिशी है। प्रार्थीया क्रम 1 का बोलता नाम शिमला भी है तथा सरकारी दस्तावेजात में वास्तविक नाम सीमा बाई मेहर अकित हैं। इस कारण राजस्व रेकार्ड में उक्त नाम को दुरूस्त करवा कर बोलते नाम के साथ वास्तविक नाम को उर्फ लगाकर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अकित करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीयां द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियों से उसका नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया। अंतिम बार दिनांक 25.05.2025 को प्रार्थीयां द्वारा राजस्व कर्मचारियो/अधिकारियो से निवेदन किया किन्तु उन्होने प्रार्थीया के नाम पत्ते राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिये आवेदन का कारण दिनांक 25.05.2025 को बांरा तहसील क्षेत्र में पैदा हुआ। कि विवादित आराजीयात वाके की तहसील बांरा में स्थित है। इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर माननीय न्यायालय मे अवधि मध्य पेश है। अत्तः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं 1 में अंकित आराजियात राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी मे प्रार्थीयां शिमला पुत्री पन्ना अंकित नाम के स्थान पर सही नाम प्रार्थीयां सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला पुत्री पन्ना साकिन फतेहपुर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ग्राम फतेहुपर के खाता संख्या 156 खसरा नं0 324/2263 रकबा 0.09 हे0, नहरी व खाता संख्या 157 खसरा नं0 1529, 334, 335 कुल किता 03 रकबा 0.61 में सहखातेदार या उनवान शिमला का हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीया की शादी हो चुकी है। प्रार्थीया वर्तमान में आमापुरा में निवास करती है। अन्य खातेदारो व ग्राम वासियान से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ के सीमा बाई और शिमला एक ही महिला है। प्रार्थीया शिमला पुत्री पन्ना अंकित नाम के स्थान पर सही नाम प्रार्थीया सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला पुत्री पन्ना साकिन फतेहपुर खातेदार दर्ज तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम फतेहपुर की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 156, खसरा नं0 324/2263 रकबा 0.09 हे0, खाता संख्या नया 157, खसरा नं0 1529, 334, 335 कुल किता 03 रकबा 0.61 हे0, ग्राम फतेहपुर तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थीया का नाम शिमला पुत्री पन्ना अंकित नाम के स्थान पर सही नाम प्रार्थीया सीमा बाई मेहर उर्फ शिमला पुत्री पन्ना साकिन फतेहपुर खातेदार दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वजीत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उप खण्ड अधिकारी
बाराँ